

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना-18/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के चाहरदीवारी के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त रू० 1,82,00,000/- (रू० एक करोड़ बैयरासी लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह का निर्माण एवं स्थापना किये जाने हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह का स्वीकृत्यादेश सं० 1592 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा अंचल-गिरिडीह, मौजा-जरीडीह, थाना नं०-104, खाता नं०-180, प्लॉट नं०-1390, रकबा-35 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि हस्तांतरित की गयी है। उक्त हस्तांतरित भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 15/योजना दिनांक 09.09.2024 के द्वारा रू० 2,49,17,000/- (रू० दो करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गई है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2977(नि०) दिनांक 19.11.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के चाहरदीवारी के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि रू० 1,82,00,000/- (रू० एक करोड़ बैयरासी लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खान्न् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।
विपत्र कोड - 43S42020210506010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. स्वीकृति राशि के अंकक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकक्षण) का होगा।
10. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-18/2024

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-18/2024/25/योजना

/राँची, दिनांक- 10.12.2025

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, गिरिडीह/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव